



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21032026-271158
CG-DL-E-21032026-271158

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1406]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 20, 2026/फाल्गुन 29, 1947

No. 1406]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 20, 2026/PHALGUNA 29, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2026

का.आ. 1471(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, मिनी सचिवालय प्रशासनिक परिसर, पुलवामा, जम्मू और कश्मीर-192301 (Ring Road) के कि.मी 0 किमी से 6 किमी जम्मू और कश्मीर राज्य के तक के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची

जम्मू और कश्मीर राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-Ring Road पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	डिप्टी कमिश्नर, पुलवामा	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या Ring	जम्मू और कश्मीर	पुलवामा	पुलवामा	1 कंडीज़ाल 2 खादरमोह

		Road के कि.मी 0 से कि.मी 6 तक				3	कदलाबल
--	--	--	--	--	--	---	--------

[फा. सं. NHAI/PIU-SRI/RR/002]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th March, 2026

S.O. 1471(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of km. 0 to 6 of Mini Secreteriat Administrative Complex, Pulwama, Jammu and Kashmir-192301 (Ring Road) in the State of JAMMU & KASHMIR.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. Ring Road in the State of JAMMU & KASHMIR.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	Deputy Commissioner, Pulwama	Ring Road KM 0 TO KM 6	JAMMU & KASHMIR	PULWAMA	Pulwama	1 Kandizal 2 Khadermoh 3 kadlabal

[F. No. NHAI/PIU-SRI/RR/002]

SHAIKH AMINKHAN, Director